न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार अग्रवाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :- 11/2020

उनवानी प्रकरण :- जीसीएमएस न0 2020/00021

मोहर सिंह (एफ.पी.एस डीलर) उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सेवर पाली तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0

---------------- अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ---------- रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद निर्णय व आदेश दिनांक 15.07.2020/16.07.2020 न्याया0 जिला रसद अधिकारी धौलपुर मु0न0 27/2020 उनवानी सरकार बनाम डीलर मोहर सिंह

उपस्थिति :-

अपीलान्ट की ओर से :- श्री शरीफ खांन एडवोकेट

रेस्पोडेण्ट की ओर से :- दिव्या कमठान सहा0 लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी

निर्णय दिनांक 25.07.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 15.07.2020/16.07.2020 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है। संक्षिप्त में प्रस्तुत अपील अनुसार तथ्य इस प्रकार हैं कि- प्रवर्तन निरीक्षक बाडी श्री हरवीर ने अपीलाण्ट की उचित मूल्य दुकान की जॉच दिनांक 14.04.2020 को की जाकर जॉच रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 21.04.2020 को रिपोर्ट रेस्पोडेण्ट के कार्यालय में प्रस्तुत की व अनियमिताऐं मानते हुये दिनांक 15.07.2020 को अपीलाण्ट की समस्त जमाशुदा अमानत राशि जप्त सरकार करते हुये अपीलान्ट एफ.पी.एस. डीलर ग्राम पंचायत सेवर पाली की पॉस मशीन संख्या 9740 तहसील बाडी का प्राधिकार पत्र संख्या 485/2001 निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई बावत कोई नोटिस जारी नहीं किया सारी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की वैक पर की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व किसी जॉच या कार्यवाही बावत अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के नेसर्गिक सिद्वान्तों की अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रवर्तन निरीक्षक ने अपीलाण्ट की राजनैतिक रूप से द्वेषता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा कुछ उपभोक्ताओं को तैयार कर झूंठी गवाही कराई गई जबकि जॉच रिपोर्ट में वर्णित उपभोक्ताओं ने यथा समय समुचित रूप से निर्धारित

राशन सामग्री प्राप्त की थी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील के बावत प्रवर्तन निरीक्षक श्री गजेन्द्र बावू शर्मा द्वारा जॉच रिपोर्ट तैयार करते समय ना तो अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का मौका दिया और ना ही कोई नोटिस इत्यादि जारी किया। अपीलाण्ट के पास बचा हुआ राशन अर्थात गेहूँ इत्यादि स्टॉक में मौजूद थे जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारियों ने नजरअन्दाज कर कानूनी भूल की है। दौराने कोविड–19 कई लोगो पर राशन कार्ड नहीं होने पर भी उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया गया है इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा राशन वितरण में किसी भी प्रकार से कोई अनियमिता नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय/आदेश की प्रति लेने पहुँचा तो अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों ने प्रमाणित प्रतिलिपी जारी करते समय कई अन्य कागजों पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर करा लिये थे जिस पर अपीलाण्ट ने पूछा कि उक्त कागजो पर हस्ताक्षर क्यों करा रहे हो तो रेस्पोडेण्ट ने कहा कि उन्हें फाइल के लिये जरूरत है जब भी जरूरत पडे ले जाना। उन्हीं हस्ताक्षरों को अपीलाण्ट के विरूद्व प्रतिवादी द्वारा इस्तेमाल किया गया। अतः अपीलार्थी अनुसार अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.07.2020/16.07.2020 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 485/2001 बहाल किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई बावत कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ सारी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व किसी जॉच या कार्यवाही बावत अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के नेसर्गिक सिद्वान्तों की अवहेलना की है। दौराने कोविड–19 कई लोगो पर राशन कार्ड नहीं होने पर भी उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा राशन वितरण में किसी भी प्रकार से कोई अनियमिता नहीं की गई फिर भी अपीलाधीन आदेश में जो गेहूँ, कैरोसिन व चीनी का खुर्द बुर्द होना बताया है उसकी राशि अपीलाण्ट जमा कराने को तैयार है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितताऐं करने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत

जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन करने पर कार्यालय के आदेश कमांक 773 दिनांक 02.04.2020 द्वारा निलंबित किया गया। अपीलार्थी/डीलर द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमिततायें किये जाने पर उसके विरूद्व एफ.आई.आर. संख्या 0087 दिनांक 20.04.2020 थाना वाडी सदर में दर्ज कराई गई है। अपीलार्थी को अपना जबाव प्रस्तुत करने हेतु नोटिस कमांक 1461 दिनांक 03.07.2020 जारी किया गया अपीलार्थी पर उक्त नोटिस की विधिवत तामील होने के बावजूद उसके द्वारा नोटिस का जबाव पेश नहीं किया गया। अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। राशन वितरण में अनियमितताऐं प्रमाणित होने पर उसको जारी प्राधिकार पत्र संख्या 485/2001 जिला रसद अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 15.07.2020 के द्वारा निरस्त किया गया है। आदेश दिनांक 15.07.2020 सही है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.07.2020 यथावत रखा जावे ।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच प्रवर्तन निरीक्षक, बाडी द्वारा दिनांक 21.04.20 को की गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.03.20 से 31.03.20 तक गेहू, कैरोसिन व चीनी के 679 ट्रांजेक्शन किये गये। राजस्थान सरकार द्वारा कोविड–19 के सक्रमण को देखते हुए बायोमैट्रिक पद्वति से ट्रांजेक्शन को बन्द कर मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. व अन्य विकल्पों से राशन सामग्री का ट्रांजेक्शन करने का प्राबधान किया गया जिसका अपीलान्ट द्वारा दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित होता है। प्रवर्तन निरीक्षक बाडी द्वारा मौके पर जाकर उपभोक्ताओं के बयान लिये गये/ उपभोक्ताओं ने अपने बयानों में बताया कि अपीलान्ट द्वारा उन्हें माह मार्च–20 में कोई भी राशन सामग्री नहीं दी है तथा जिसका इन्द्राज उनके राशन कार्डो मे भी नही है। इन उपभोक्ताओं के राशन कार्डो पर अपीलान्ट द्वारा 10.10 क्वि. गेंहू, 45 लीटर कैरोसिन व 01 किलो ग्राम चीनी का दुरूपयोग किया गया है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अबेयन्स राशन कार्डो के ट्रांजेक्शन का दूरभाष पर सत्यापन किया गया जिसमे 19 उपभोक्ताओं के 2.80 क्वि. गेहू का अपीलान्ट द्वारा दुरूपयोग किया जाना जाना पाया गया है। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का निलंबन जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा किया गया। राशन वितरण की अस्थाई व्यवस्था हेतु अटैचमेंट उचित मूल्य दुकानदार ज्वानसिंह ग्राम पंचायत कुदिन्ना से लगाया गया। मौके पर जाकर चार्ज हस्थानांतरण कराने पर 288.35 क्वि. गेहू, 1.60 लीटर कैरोसिन व 396.40 किलोग्राम चीनी का हस्थानांतरण भौतिक रूप से उचित मूल्य दुकानदार ज्वानसिंह को नही किया गया। उक्त आरोपो के सम्बध में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे इन आरोपा का खण्डन हो सके। प्रकरण में अपीलार्थी/डीलर द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमिततायें किये जाने पर उसके विरूद्व एफ.आई.आर. संख्या 0087 दिनांक 20.04.2020 थाना बाडी सदर में दर्ज कराई गई है।

अपीलान्ट के अभिभाषक का यह कहना भी गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई बावत कोई नोटिस जारी नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को अपना जबाव प्रस्तुत करने हेतु नोटिस कमांक 1461 दिनांक 03.07.2020 जारी किया गया अपीलार्थी पर उक्त नोटिस की विधिवत तामील होने के बावजूद उसके द्वारा नोटिस का जबाव पेश नहीं किया गया। अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.07.2020 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/7/22

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर
धौलपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज.)